



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276442
CG-DL-E-23092026-276442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5028]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 5028]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सं. 76/2026 – सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5235(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 62/1994-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र से सम्बंधित क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में, कॉलम (3) में मद (3) और कॉलम (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(4) कैम्पबेल बे	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या ऐसी किसी श्रेणी के माल की लदाई।”
		“(5) कार निकोबार	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या ऐसी किसी श्रेणी के माल की लदाई।”

[फा. सं. सीबीआईसी-50394/44/2023]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पणी :- प्रधान अधिसूचना संख्या 62/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 829(अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 66/2026-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 20 जुलाई, 2026 का. आ. 3961 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2026

No. 76/2026 – Customs (N.T.)

S.O. 5235(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the Notification No. 62/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1 relating to the Union Territory of Andaman and Nicobar, in column (3) and (4), after item (3) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(4) Campbell Bay	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”
		“(5) Car Nicobar	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”

[F. No. CBIC-50394/44/2023]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note :- The principal notification No.62/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 66/2026-Customs (N.T.) dated the 20th July, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3961 (E), dated the 20th July, 2026.